बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी॰आर॰ 173/2026

सत्र 2026–28 के लिये राज्य के इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य एवं उस संस्थान में इण्टरमीडिएट कक्षा में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु तिथि विस्तारित करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं उस संस्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2026–28 में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System For Students (OFSS) प्रणाली से स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए समिति की विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 136/2026 एवं पी0आर0 140/2026 के माध्यम से दिनांक 25.06.2026 से 09.07.2026 तक संबंधित शिक्षण संस्थानों में नामांकन लेने हेतु तिथि निर्धारित किया गया था।

2. **विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुये इण्टरमीडिएट कक्षा में स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की तिथि दिनांक 05.08.2026 से 11.08.2026 तक विस्तारित की जाती है।**

3. नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में संकायवार रिक्त सीटों की संख्या OFSS पोर्टल पर 'आवश्यक सूचनाएं' के स्तंभ में देख सकते हैं।

4. विभिन्न +2/इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य स्पॉट नामांकन के लिए अपने संस्थान में उपलब्ध रिक्त सीटों संबंधी सूचना अपने शिक्षण संस्थानों के न्यूनतम तीन स्थलों पर प्रदर्शित करेंगे।

5. स्पॉट नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थी जिस संकाय एवं विषय में सीट रिक्त है, वहाँ नामांकन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे एवं संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन ले सकेंगे। C.B.S.E(पूरक परीक्षा सहित), I.S.C.E एवं अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पॉट नामांकन करा सकते हैं।

6. OFSS नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रथम/द्वितीय/तृतीय सूची में चयनित तथा नामांकित विद्यार्थी जिन्होंने नामांकन के पश्चात् स्लाईड–अप का विकल्प दिया था, लेकिन स्लाईड–अप वाले संस्थान में अंतिम रूप से नामांकन नहीं ले सके, ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका पूर्व में लिया गया नामांकन स्वतः रद्द हो गया है तथा उन्हें स्पॉट नामांकन के तहत नामांकन लेने के लिए फिर से ऑनलाईन आवेदन करना होगा, अन्यथा वे इण्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2028 में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे।

7. इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि वैसे शिक्षण संस्थान जहाँ कतिपय तकनीकी एवं अन्य कारणों से नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन को ऑनलाईन अपडेशन नहीं किया जा सका है, वैसे विद्यार्थियों को भी स्पॉट नामांकन की अवधि के दौरान ऑनलाईन अपडेशन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

8. प्रत्येक दिन नामांकन के पश्चात् संबंधित शिक्षण संस्थान OFSS Portal पर प्रत्येक नामांकित विद्यार्थियों का नामांकन Update करेंगे तथा सभी नामांकित विद्यार्थियों का अंतिम रूप से ऑनलाईन अपडेशन **दिनांक 12.08.2026 तक** करना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन अपडेट नहीं होने की स्थिति में इसकी सभी जवाबदेही संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य की होगी।

9. सभी नामांकित विद्यार्थियों को वर्ष 2028 में होने वाली वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए सूचीकरण किया सकेगा।

10. **स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के संबंध में शेष सभी शर्तें समिति द्वारा पूर्व संसूचित विज्ञप्ति सं०–पी०आर० 136/2026 के अनुसार यथावत रहेंगी।**

नोटः– इस अवधि में इंटरस्तरीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 10+2 आवासीय विद्यालयों के प्राचार्य /प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में 11 वीं कक्षा में नामांकित शेष विद्यार्थियों के नामांकन को पूर्व के विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 137/2026 के अनुसार OFSS के पोर्टल पर UPDATE करना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त सचिव (OFSS)